jkt Lo vihy ikf/kdkjh] Hkjriqj

ihBklhu vf/kdkjh %& Jh t-,u-eFkfj;k ¼vkj-,-,l-½

vkj-lh-,e-,l 1991@00001

vihy lq[;k 188@05 ¼223 vkj-Vh-,DV-½

muoku

1- प्रभू पुत्र शंकर जाति वैश्य निवासी भूतौली तहसील वैर जिला भरतपुर

2- lkguyky i= ijlknh ¼erd½

2-1- धर्मचंद पुत्र सोहनलाल जाति वैश्य निवासी भूतौली तहसील वैर

2-2- सोमवती पत्नी प्रहलाद जाति वैश्य निवासी भूतौली तहसील वैर

2-3 शान्ति पत्नी शिवचरण जाति वैश्य निवासी महुआ तहसील भरतपुर

2-4 चन्द्रवती पत्नी रमनलाल जाति वैश्य निवासी भूसावर तहसील भूसावर

2-5 केशन्ती पत्नी निरंजनलाल जाति वैश्य निवासी पिपरउ तहसील नदबई

2-6 ;kxUn | i=x.k /kepn जाति वैश्य

2-7 महेश | निवासी भूतौली तहसील वैर जिला भरतपुर

3- रतनलाल पुत्र कुन्दन जाति वैश्य निवासी भूतौली तहसील वैर (मृतक)

3-1 eukgjyky ¼erd½

3-1-1 Jhefr d".kkuoh iRuh eukgjyky

3-1-2 हरीशकुमार पुत्र मनोहरलाल जाति वैश्य निवासी भूतौली तहसील वैर

3-1-3 हेमचन्द्र पुत्र मनोहरलाल जाति वैश्य निवासी भूतौली तहसील वैर

3-2 रामसहाय पुत्र रतनलाल जाति वैश्य निवासी भूतौली तहसील वैर

3-3 लक्ष्मीनारायण पुत्र रतनलाल जाति वैश्य निवासी भूतkyh rglhy oj

3-4 जगदीशप्रसाद पुत्र रतनलाल जाति वैश्य निवासी भूतौली तहसील वैर

4- रामस्वरूप पुत्र शिवलाल जाति वैश्य निवासी भूतौली तहसील वैर

5- चमेली बेवा गिर्राज जाति वैश्य निवासी भूतौली तहसील वैर

6- ijljke i= nocDl tkfr tkV fuoklh Hkrkyh rglhy oj ¼erd½

6-1 Jhefr fdUuk cok ijljke tkfr tkV fuoklh Hkrkyh rglhy oj

6-2 ohjUnflg i= ijljke tkfr tkV fuoklh Hkrkyh rglhy oj

6-3 lrohjflg i= ijljke tkfr tkV fuoklh Hkrkyh rglhy oj

6-4 मु0 कश्मीरा पुत्री परसराम पत्नी कुवरसिंह | जाति जाट fuoklh

6-5 e0 ghjk i=h ijljke iRuh cgekun | ekukrk [kn rg0 uxj

6-6 e0 cyohjh i=h ijljke iRuh ekguflg tkfr tkV fuoklh ekyk;k rglhy y{e.kx< ftyk vyojA

6-7 e0 txohjh i=h ijljke iRuh uguflg tkfr tkV fuoklh ekyk;k rglhy y{e.kx< ftyk vyojA

6-8 e0 t;nb i=h ijljke iRuh djuflg tkfr tkV fuoklh T;kjnk [kn rglhy fg.Mku flVh ftyk djkyhA

Web Copy - Not Official

----------vihykVl

Ckuke

1- जगन्नाथ पुत्र भोलाराम जाति वैश्य निवासी बयाना बस स्टेण्ड भरतपुर rglhy Hkjrij ¼erd½

1-1- ओमप्रकाश (मृतक)

1-1-1- अंगूरी बेवा ओमप्रकाश | जाति वैश्य निवासी कस्वा भरतपुर

1-1-2- ieLo:lk | rglhy o ftyk Hkjrij

1-1-3- iekndekj

1-1-4- ftrUn dekj ¼erd½

1-1-4-1- श्रीमति कमलेश बेवा जितेन्द्रकुमार

1-1-4-2- ueu i= ftrUn dekj | नाबालिग वली माता कमलेश

1-1-4-3- fuf[ky i= ftrUn dekj | cok ftrUn dekj fuoklh dLok Hkjrij

1-1-5- वीरवती पुत्री ओमप्रकाश जाति वैश्य निवासी कस्वा भरतपुर

1-2- हेमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ ¼erd½

1-2-1- शीलादेवी बेवा हेमप्रकाश | जाति वैश्य निवासी पुराना

1-2-2- अनिलकुमार पुत्र हेमप्रकाश | बयाना बस स्टेण्ड भरतपुर

1-2-3- अनूप पुत्र हेमप्रकाश | तहसील व जिला भरतपुर

1-2-4- दिनेश पुत्र हेमप्रकाश

1-2-5- सुमन पुत्री हेमप्रकाश

1-3- वेदप्रकाश पुत्र जगन्नाथ

1-4- शकुन्तला पुत्री जगन्नाथ | जाति वैश्य निवासी पुराना

1-5- Qyorh i=h txUukFk | c;kuk cl LV.M Hkjrij

1-6- सुशीला पुत्री जगन्नाथ | तहसील व जियk Hkjrij

1-7- jktjkuh i=h txUukFk

2- राधाकिशन पुत्र लक्ष्मीनारायन जाति वैश्य निवासी बुद्ध की हाट भरतपुर।

3- मूलचंद पुत्र लक्ष्मीनारायन जाति वैश्य निवासी बुद्ध की हाट भरतपुर।

4- रूपकिशोर पुत्र लक्ष्मीनारायन (मृतक)

4-1- अमित पुत्र रूपकिशोर

4-2- अंजुम पुत्र रूपकिशोर | जाति वैश्य निवासी बुद्ध की हाट

4-3- आशीष पुत्र रूपकिशोर | भरतपुर।

4-4- अणिमा पुत्री रूपकिशोर

5- रूपचंद पुत्र लक्ष्मीनारायन जाति वैश्य निवासी बुद्ध की हाट भरतपुर।

6- रमेशचंद पुत्र लक्ष्मीनारायन जाति वैश्य निवासी बुद्ध की हाट भरतपुर।

7- प्रकाश पुत्र गयाप्रसkn ¼erd½

7-1- सत्यदेव आर्य पुत्र स्व0 प्रकाशचंद

7-2- Jhefr jk/kk

7-3- Jhefr d".kk | i=h;ku Lo- प्रकाशचंद जाति वैश्य निवासी

7-4- श्रीमति शशी | पुराना बयाना बस स्टेण्ड के पास भरतपुर।

7-5- Jhefr xhrk

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8- महेशचंद पुत्र गयाप्रसाद | जाति वैश्य निवासी पुराना बयाना बस स्टेण्ड
9- धनेश पुत्र गयkilkn | d ikl Hkjrij
10- gjhflg i= eku ¼erd½
10-1- मुंशी
10-2- महेश | पिसरान हरीसिंह जाति हरिजन निवासी नगला
10-3- nxk | grjke ik- Hkrkyh rglhy ojA
11- ckc i= eku tkfr gfjtu fuoklh uxyk grjke rglhy oj
12- रमेश पुत्र मानू (मृतक)
12-1- ek;k
12-2- लक्ष्मी | पुत्रीयान रमेश | जाति हरिजन निवासी नगला
12-3- xfM;k | grjke rglhy oj
12-4- uhr | fty k Hkjrij A
12-5- राजेश
12-6- सोनू | पुत्रान रमेश
12-7- eUuk
13- jkt LFkku ljdkj
14- ekguyky i= mdkj ¼erd½
14-1- fo|knoh cok ekguyky
14-2- सतीश
14-3- uhjt | i=ku Lo- मोहनलाल | जाति वैश्य निवासी पुराना बयाना
14-4- मुकेशचंद | बस स्टैण्ड भरतपुर।
14-5- ex
14-6- lHkk | i=h;ku ekguyky
14-7- xkih

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

----------jLikMUVl

mifLFkfr %& odhy vihykV Jh egkjkt flg Mkxj ,M-
odhy jLikMUV Jh दिनेश चंद शर्मा ,M-

fu.k; fnukd 23-07-2018

यह अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 05.07.2001 के द्वारा पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई है जिसकी विधिवत् सुनवाई न्यायालय द्वारा की जा रही है।

अपील अन्तर्गत धारा 223 jkt LFkku dk'rdkjh vf/kfu;e के तहत सहायक कलक्टर वैर के निर्णय दिनांक 30.03.1991 के विरूद्ध न्यायालय में पेश की गई है, जिसमें रैस्पोडैन्ट(वादीगण) जगन्नाथ वगै0 का वादपत्र खातेदारी बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु डिक्री किया गया था। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 53, 155, 159, 219, 174, 66, 313, 314, 708, 715, 716, 747, 756, 758, 770, 771, 795, 797, 340, 828, 150, 311, 312, 201 कुल किता 24 रकवा 72 बीघा 5 बिस्वा बांके ग्राम भूतौली तहसील वैर जिला भरतपुर के सम्बन्ध में अंकित कर (वादीगण) रैस्पोडान्ट ने दावा पेश किया कि जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन से पूर्व वादी नं0 1 व वादी नं0 2 लगायत 6 के पिता लक्ष्मीनारायन उक्त आराजी के 1/6 भाग, मु0 कम्पूरी वेवा शिवलाल 1/6 भाग व वादी नं0 7, 8, 9 के पिता गयाप्रसाद 1/6 भाग के व श्योवक्स, गोपालदास व तरतीवी प्रतिवादी नं0 11 का पिता औंकारनाथ 1/6 भाग के, प्रतिवादी नं0 1 का पिता शंकर व प्रतिवादी नं0 2 का पिता परसादी व प्रतिवादी नं0 3 के पिता रतन 1/2 भाग के मालिक आराजी थे। मु0 कम्पूरी, श्योवक्स व गोपालदास की मुत्यु निःसंतान हो चुकी है व जिनके उत्तराधिकारी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी है। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात वादी नं0 1 व वादी नं0 2 लगायत 6 के पिता लक्ष्मीनारायन व वादी नं0 7, 8, 9 के पिता गयाप्रसाद व तरतीवी प्रतिवादी नं0 11 के पिता मोहनलाल व मृतक कम्पूरी, श्योवक्स व गोपालदास एवं प्रतिवादी के पितागण क्रमशः शंकर, परसादी व कुन्दन उक्त आराजी के मालिक खातेदार हो गये। प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 के पिता गाव भूतौली रहते थे। वादी नं0 1 व तरतीवी प्रतिवादी के पिता, वादी नं0 2 लगायत 6 के पिता व वादी नं0 7 लगायत 9 के पिता, मु0 कम्पूरी, श्योवक्स, गोपालदास भरतपुर रहने लग गये एवं आराजी का इंतजाम प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 के पितागण, वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी की तरफ से वाहैसियत सहखातेदार करते रहे और प्रतिवर्ष काश्त का हिसाब करके मुनाफा वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी के पिता को देते रहे। वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी के बिना जानकारी के प्रतिवादीगण नं0 1, 2, 3 के पितागण ने पटवारी हल्का साज करके इन्द्राज अपने नाम करा लिया और काश्त का हिसाब करने नही आये तथा आराजी का विभाजन करने से इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नं0 1 प्रभू ने आराजी खसरा नं0 53 रकवा 5 बीघा 4 बिस्वा, 313 रकवा 4 बीघा, 756 रकवा 2 बीघा 14 बिस्वा, 795 रकवा 4 बीघा 2 बिस्वा, 340 रकवा 1 बीघा 6 बिस्वा किता 5 रकवा 17 बीघा 6 बिस्वा की काश्त की इन्द्राज अपने नाम पर एवं प्रतिवादी नं. 2 सोहनलाल ने आराजी खसरा नं0 53 रकवा 5 बीघा 4 बिस्वा, 66 रकवा 6 बीघा 1 बिस्वा, 708 रकवा 2 बीघा 18 बिस्वा, 715 रकवा 1 बीघा 2 बिस्वा, 770 रकवा 12 बिस्वा, 771 रकवा 19 बिस्वा, 828 रकवा 5 बीघा 2 बिस्वा , 150 रकवा 4 बीघा 15 बिस्वा , 311 रकवा 2 बीघा 2 बिस्वा , 312 रकवा 2 बीघा 2 बिस्वा किता 10 रकवा 30 बीघा 17 बिस्वा का इन्द्राज अपने नाम पर एवं प्रतिवादी नं0 3 रतन ने आराजी खसरा नं0 155 रकवा 3 बीघा 13 बिस्वा, 159 रकवा 2 बीघा 1 बिस्वा , 314 रकवा 4 बीघा 4 बिस्वा , 716 रकवा 2 बीघा 2 बिस्वा , 747 रकवा 1 बीघा, 758 रकवा 1 बीघा 7 बिस्वा, 797 रकवा 2 बीघा 10 बिस्वा किता 7 रकवा 16 बीघा 17 बिस्वा का इन्द्राज अपने नाम पर एवं आराजी खसरा नं0 219 रकवा 2 बीघा 5 बिस्वा प्रतिवादी रामस्वरूप के नाम पर एवं खसरा नं0 174 रकवा 3 बीघा 12 बिस्वा प्रतिवादी नं0 5 मु0 चमेली व प्रतिवादी नं0 6 के नाम पर एवं खसरा नं0 201 रकवा 1 बीघा 8 बिस्वा प्रतिवादीगण नं0 7,

Web Copy - Not Official

8, 9 के नाम पर खातेदारी का इन्द्राज करवा लिया है जो खिलाफ मौका व कानून है। दिनांक 26.08.1988 को प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी अधिकारों को इन्कार करने एवं विभाजन न करने से वादकारण पैदा हुआ है। अन्त में

वादीगण ने प्रार्थना चाही है कि विवादित आराजी में वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी को निस्फ हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें और मुताबिक प्रार्थना दावा वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी को उनके हिस्से अनुसार खातेदार व काश्तकार घोषित किया जावे, आराजी का विभाजन करवाया जावे, मौके पर कब्जा व दखल वादीगण को दिलवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

तत्पश्चात वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 9 ने अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश कर वादीगण के दावे के समस्त तथ्यों को अस्वीकार करते हुए यह अंकित किया है कि प्रतिवादीगण सं0 2012 से पूर्व से ही आराजी पर बदस्तूर काबिज है। आराजी खसरा नं0 219 की खातेदारी धर्मचन्द के नाम है एवं खसरा नं0 201 की खातेदारी प्रतिवादीगण नं0 7 लगायत 9 के नाम पर है जो उन्हे पट्टे पर प्राप्त हुई है। आराजी खसरा नं0 726, 747, 758, 797, 159, 155, 114 प्रतिवादी रतन के नाम पर है। आराजी खसरा नं0 66, 828, 708, 715, 770, 771, 53, 150, 312, 311 प्रतिवादी सोहनलाल के नाम पर है एवं खसरा नं0 23, 756, 795, 313 व 340 प्रतिवादी प्रभू के नाम पर है। जो सं0 2012 से पूर्व से ही चली आ रही है। सं0 2010 में प्रतिवादीगण सं0 1, 2 व 3 के पितागण आराजी पर गैर मौरूसी कृषक के रूप में आराजी पर दर्ज रहे है और बदस्तूर काश्त करते रहे है। वादग्रस्त आराजी पर सं0 2010 में प्रतिवादी सं0 1, 2 व 3 के पिता के गैर मौरूसी के इन्द्राज दर्ज है जिसके आधार पर प्रतिवादी सं0 1,2 व 3 के पितागणों ने सं0 2012 में (अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने पर) खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये तथा अपने हिस्सा अनुसार प्रतिवादीगण आराजी का लगान भी अदा करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण ही मौके पर काबिज है। वादीगण का दावा म्याद बाहर है। अन्त में प्रार्थना कि है कि वादीगण का वादपत्र खारिज किया जावे प्रतिवादीगण सं0 10 व 11 के विरूद्ध न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तत्पश्चात प्रकरण में दिनांक 07.02.1990 को निम्न तनकीयात कायम की गयी।

तनकी सं0 1:– आया जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन के पूर्व वादी नं0 1 व वादी नं0 2 से 6 के पिता लक्ष्मीनारायण वादपत्र की खण्ड सं0 1 में वर्णित आराजी में 1/6 भाग का मु0 कम्पूरी बेवा शिवलाल 1/6 भाग व वादी नं0 7, 8 व 9 के पिता गयाप्रसाद 1/6 भाग के व श्योवक्स, गोपालदास व तरतीवी प्रतिवादी सं0 11 का पिता औंकारनाथ 1/6 भाग के, प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 के पिता शंकर, परसादी व रतन 1/2 भाग के मालिकान आराजी थे।

तनकी सं0 2:– आया जमींदारी उन्मूलन के पश्चात वादी नं0 1 व वादी नं0 2 लगायत 6 के पिता लक्ष्मीनारायण व वादी नं0 9 के पिता गयाप्रसाद व तरतीवी प्रतिवादी नं0 11 के पिता मोहनलाल व मृतक कम्पूरी व श्योवक्स व गोपालदास, प्रतिवादी नं0 1 के पिता शंकर, प्रतिवादी नं0 2 के पिता परसादी, प्रतिवादी नं0 3 के पिता कुन्दन उक्त आराजी के मालिक खातेदार हो गये।

तनकी सं0 3:– आया प्रतिवादीगण नं0 1, 2 व 3 के पितागण वादीगण व तरतीवी के पितागण की तरफ से वाहैसियत को–टिनेन्ट आराजी का इन्तजाम करते रहे और प्रतिवर्ष काश्त का हिसाब करके मुनाफा वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी के पिता को देते रहे।

तनकी सं0 4:– आया प्रतिवादी के नाम हो रहे इन्द्राज खातेदारी खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है।

तनकी सं0 5:– आया प्रतिवादी का कब्जा वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी की तरफ से बतौर लाईसेन्सी को–टिनेन्ट है।

तनकी सं0 6:– आया वादीगण आराजी का विभाजन कराने के अधिकारी है।

तनकी सं0 7:– आया वादीगण उपरोक्त आराजी में हकूक खातेदारी को घोषित करवा पाने के अधिकारी है।

तनकी सं0 8:– आया वाद में मिस जौइन्डर ऑफ पार्टीज का दोष विद्यमान है व इसका प्रभाव।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तनकी सं0 9:– आया वाद वादीगण अवधि में प्रस्तुत नही हुआ है।

तनकी सं0 10:– दादरसीः–

वादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी जगन्नाथ PW- 1 के बयान करवाये और लिखित साक्ष्य में पर्चा इन्तखाका नम्बरान मौजा भूतौली EX-1, नकल जमाबन्दी EX-2 सम्वत 2043 से 2046 नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 3 सम्बत् 2010 से 2013 (किता 4), नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 4 सम्वत् 2014 से 2017 व नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 5 सम्वत् 2014 से 2017 व नकल जमाबन्दी प्रदर्श 6 सम्वत् 2014 से 2017 प्रस्तुत की हैं प्रतिवादीगण ने अपने कथनों की पुष्टि में बयान प्रतिवादी सोहनलाल DW-1 व भम्मू DW-2 लेखबद्ध करवाये।

और इस प्रकार लायक तहत अदालत (सहायक कलक्टर वैर) द्वारा बहस सुनकर दिनांक 30.03.1991 को दावा वादीगण डिक्री कर दिया और वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज कर मुताबिक अनुतोष खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया तथा वादीगण का वादपत्र प्राथमिक रूप से स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित कर कुरा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार वैर को भेजा। तहत अदालत के उक्त निर्णय दिनांक 30.03.1991 के विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 (अपीलान्ट) द्वारा माननीय न्यायालय भू–प्रबन्धक अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 24.05.1994 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज की गयी। जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 (अपीलान्ट) द्वारा एक अपील उनवानी प्रभू बनाम जगन्नाथ अपील सं0 99/94 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 05.07.2001 को अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुए माननीय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के निर्णय डिक्री दिनांक 24.05.1994 को निरस्त करते हुए पत्रावली को पुनः प्रेषित कर निर्देशित किया कि अपील में उठाये गये बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन कर पक्षकारान को दुबारा सुनकर न्यायिक निर्णय पारित करे और पत्रावली में दिनांक 07.09.2001 तारीख पेशी नियत कर पत्रावली को माननीय तहत अदालत को प्रेषित किया तथा पक्षकारान को माननीय तहत अदालत उपस्थित होने का आदेश दिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 25.05.2005 के द्वारा प्रकरण आर.ए.ए. भरतपुर को निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया गया। तत्पश्चात माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय अनुसार उपरोक्त अपील पर पुनः सुनवाई करते हुए यह अपील निस्तारित की जा रही है।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। तनकीवाईज निर्णय की विवेचना निम्न प्रकार है।

तनकी सं0 1:— आया जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन के पूर्व वादी नं0 1 व वादी नं0 2 से 6 के पिता लक्ष्मीनारायण वादपत्र की खण्ड सं0 1 में वर्णित आराजी में 1/6 भाग का मु0 कम्पूरी बेवा शिवलाल 1/6 भाग व वादी नं0 7, 8 व 9 के पिता गयाप्रसाद 1/6 भाग के व श्योवक्स, गोपालदास व तरतीवी प्रतिवादी सं0 11 का पिता औंकारनाथ 1/6 भाग के, प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 के पिता शंकर, परसादी व रतन 1/2 भाग के मालिकान आराजी थे:—

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण के ऊपर है। जिसके लिए वादीगण ने दस्तावेज साक्ष्य में पर्चा इन्तरखाब नकल जमाबन्दी सं0 2010 से 2013 व सम्वत् 2014 से 2017 पेश किये है जिन पर गौर किया जावे तो उपरोक्त दस्तावेज वादी के वादपत्र में अंकित किये गये तथ्यों का कोई समर्थन नही करते है अपितु जमाबन्दी सं0 2010 से 2013 का अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण सं0 1 ,2 व 3 के पिता गैर मौरूसीदार काश्तकार के रूप में दर्ज है और गैर मौरूसी के रूप में दर्ज होकर काश्त कर रहे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभावशील होने पर (अर्थात सं0 2012 में) ऐसे गैर मौरूसी काश्तकारान द्वारा कानून खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे जैसा कि आर0आर0डी 1987 पेज 202 में माननीय उच्च न्यायालय ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार अदालत तहत ने तनकी नं0 1 का निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से वादीगण के हक में किया है। जहां तक तहत अदालत ने यह माना है कि सं0 2010 में मालिक के खाने में वादीगण के इन्द्राज दर्ज थे तो अदालत तहत का यह तर्क भी मानने योग्य नही है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने पर मालिक के इन्द्राज समाप्त कर दिये गये और खातेदारी अधिकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जो आगे दिये गये जो गैर मौरूसी व मौरूसी कृषक को प्रदान किये गये। पर्चा इन्तरखान सन् 1950 की प्रविष्टियों को मूल आधार मानते हुए तहत अदालत ने वादीगण के पक्ष में डिक्री विधि विरूद्ध तरीके से पारित की है। क्योकि उक्त पर्चा इन्तरखान रिकार्ड ऑफ राईटस की परिभाषा में नहीं आता। रिकार्ड ऑफ राईटस की परिभाषा में मात्र जमाबन्दीयां आती है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त आर.एल.डब्लू.–2007(2) राजस्थान पृष्ठ 1284 के अनुसार धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति को यह स्थापित करना होगा के आर.टी.एक्ट 1955 के प्रभावशील होने के समय वह उस भूमि का काश्तकार था।

मात्र भूमि पर कब्जा होना खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं करता जब तक यह प्रमाणित नहीं कर दिया जावें कि वादी धारा 5 (43) आर.टी.एक्ट के अभिप्राय के तहत एक काश्तकार था। उसके द्वारा लगान देय था। तहत न्यायालय ने इस तथ्य पर न तो कोई विचार किया और नहीं कोई विवेचन की है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के खुद काश्त के गैर मौरूसी कृषक हैं। जिन्हें नियमानुसार राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज किया गया है। जमाबन्दी सं0 2010 से 2013 के अवलोकन से यह जाहिर है कि वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी के इन्द्राज उक्त जमाबन्दी में गैर मौरूसी अथवा मौरूसी कृषक के रूप में दर्ज ही नही है तो वह किस कानून के तहत खातेदारी प्राप्त कर सकते है। अदालत तहत ने यह कही भी स्पष्ट नही किया है। जहां तक वादीगण के खेवट के खाने में मालिक दर्ज होने का उसने तो अदालत तहत ने इस आधार पर उनके खातेदारी अधिकार को मानने में गहन कानूनन त्रुटि की है क्योंकि सं0 2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने पर समस्त आराजी की मालिक राजस्थान सरकार दर्ज होगी। इसलिए सं0 2012 से पहले मालिक होने का लाभ वादीगण नही ले सकते है और इस आधार पर वादीगण को कोई भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नही कर सकते है। वादीगण द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेज तहत अदालत पत्रावली पेश नही किया है जिससे यह सावित हो कि वादीगण ने आराजी को प्रतिवादीगण के लिए काश्त पर दिया हो जो दस्तावेज वादीगण ने पेश किये है वे वादीगण के वादपत्र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का कोई समर्थन नही करते है अपितु उपरोक्त दस्तावेजों से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार आराजी पर कानून सम्मत् प्रकट होते है।

यहा यह तथ्य भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि अदालत तहत ने कम्पूरी, श्योवक्स व गोपाल की मृत्यु होने पर वादीगण को उनका उत्तराधिकारी माना है जबकि उत्तराधिकारी बावत् वादीगण द्वारा किसी भी सक्षम अदालत का कोई उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र अदालत तहत ने प्रस्तुत नही किया। अदालत तहत का यह मानना कि खेवट के कॉलम में जगन्नाथ वगै0 (वादीगण)का नाम दर्ज है जिसके आधार पर अदालत तहत ने वादीगण को खातेदार माना है तो अदालत तहत को यह तथ्य भी स्पष्ट करना चाहिए था कि राजस्थन काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत किस कानून के तहत खेवट में दर्ज व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है।

यहा यह तथ्य भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि वादीगण द्वारा अपने आप को खुद काश्त मानते हुए यह वादपत्र पेश नही किया है क्योंकि वादीगण आराजी पर खुदकाश्त कृषक की हैसियत से दर्ज नही है और न ही मौरूसी व गैर मौरूसी कृषक के रूप में दर्ज है इसलिए तनकी नं0 1 वादीगण के हक में किसी भी प्रकार से प्रमाणित नही है। इसलिए इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया जाता है। वादीगण/रैस्पोडान्ट वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

तनकी सं0 2:— आया जमींदारी उन्मूलन के पश्चात वादी नं0 1 व वादी नं0 2 लगायत 6 के पिता लक्ष्मीनारायण व वादी नं0 9 के पिता गयाप्रसाद व तरतीवी प्रतिवादी नं0 11 के पिता मोहनलाल व मृतक कम्पूरी व श्योवक्स व गोपालदास, प्रतिवादी नं0 1 के पिता शंकर, प्रतिवादी नं0 2 के पिता परसादी, प्रतिवादी नं0 3 के पिता कुन्दन उक्त आराजी के मालिक खातेदार हो गये:—

इस तनकी को सावित करने का भार वादीगण पर है। यद्यपि तनकी सं0 1 में वादीगण द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात के आधार पर पूर्ण रूप से विवेचन किया जा चुका है कि वादीगण द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात वादीगण के वादपत्र का समर्थन नही करते है अपितु उपरोक्त दस्तावेजात प्रतिवादी के

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

इन्द्राजों की पुष्टि करते है। प्रतिवादीगण सं0 2010 में आराजी पर गैर मौरूसी कृषक के रूप में दर्ज रहे है जिसके आधार पर सं0 2012 में प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। वादीगण ने अपने वादपत्र में कही भी आराजी पर अपनी खुदकाश्त का होना दर्ज नही हुआ है और न ही प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुए गैर मौरूसी इन्द्राज को वादीगण द्वारा कोई चुनौती दी गयी है। लेकिन अदालत तहत ने गैर मौरूसी में दर्ज आराजी के विषय में बिना किसी प्लीडिंग के गैर मौरूसीदार के इन्द्राज को निरस्त करने के आदेश दिये है जो कतई मानने योग्य नही है। यहां अदालत तहत द्वारा यह माना गया है "कि राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन एक्ट 1959 की धारा 29(1) व (2) में स्पष्ट प्रावधान है जमींदार–विश्वेदार उनके कब्जे की रिकार्डेड खुदकाश्त भूमि के मालिक हो जावेगे एवं उन्हे खातेदार की भांति ही सभी अधिकार होगे। धारा 29(2) कहती है कि ऐसी भूमि जो खुदकाश्त के रूप में धारित की गयी हो, में एक से अधिक व्यक्तियों का हित निहित हो तो ऐसे सारे व्यक्ति भी सहमालिक समझे जावेगे।"

लेकिन तहत अदालत ने धारा 29(1) व (2) की गलत रूप से विवेचना करते हुए तनकी नं0 2 का निर्णय पारित किया है क्योंकि अदालत तहत के समक्ष वादीगण द्वारा स्वयं को खुदकाश्त कृषक मानते हुए यह वादपत्र पेश नही किया है और न ही प्रतिवादीगण के गैर मौरूसी इन्द्राज को कोई चुनौती वादीगण द्वारा वादपत्र में दी गयी है। बल्कि वादीगण द्वारा यह कहा गया है कि प्रतिवादीगण ने गलत तरीके से मिल्लत करके आराजी पर अपने नाम इन्द्राज करवा लिया है लेकिन अदालत तहत ने वादीगण की प्लीडिंग से बाहर जाकर खुदकाश्त के आधार पर वादपत्र का निर्णय करने में भारी भूल की है। जहां तक अदालत तहत ने आर0आर0डी 1984 पेज 42 का मत गत किया है तो यह मत रिकार्डेड सह खातेदारों के ऊपर धारित होता है। हस्तगत प्रकरण में वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी, प्रतिवादीगण के साथ रिकार्डेड सह खातेदार नही है। इसलिए वादीगण द्वारा पेश की गयी उक्त नजीर हस्तगत प्रकरण में चस्पा नही होती है। न्यायिक दृष्टान्त अपील संख्या 26/2003 के अनुसार जागीर अधिनियम की धारा 13 के अनुसार खुद काश्त धारक खातेदार कृषक माना जायेगा। राजस्थान जमीदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत धारा 30 के तहत खुद काश्त कृषक वादग्रस्त आराजी के खातेदार होगें। यहा यह तथ्य भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अदालत तहत ने तनकी नं0 2 में खतौनी सं0 167 में खुदकाश्त शंकर हिस्सेदार खसरा नं0 313, 756, 795, खतौनी सं0 168 खुदकाश्त परसादी, कुन्दन व शंकर हिस्सेदार खरा नं0 174 व 201, खेवट खतौनी सं0 169 खुदकाश्त कुन्दन हिस्सेदार खसरा नं0 314, 70, खतौनी सं0 170, गिर्राज वल्द परसादी गैर मौरूसी खसरा नं0 40, 66, खतौनी सं0 171 गिर्राज, सोहनलाल वल्द परसादी दो बैल, रतनबल्द कुन्दन 2 बैल, गैर मौरूसी खसरा नं0 364, 340 खतौनी सं0 172 रतन बल्द कुन्दन गैर मौरूसी खसरा नं0 841, 716, 717, 758, 797, 53 मिन, 99 मिन, 310, 246, 159, खतौनी सं0 173 शिवलाल पुत्र परसादी गैर मौरूसी खसरा नं0 219, 245, खतौनी सं0 174, सोहनलाल वल्द परसादी गैर मौरूसी खसरा नं0 828, 708, 715, 770, 771, 150, 53 मिन, 99 मिन, 311, 312, खतौनी सं0 175 सोहनलाल व गिर्राज पिसरान परसादी गैर मौरूसी खसरा नं0 155 के इन्द्राज अदालत तहत द्वारा तनकी सं0 2 के निर्णय में अंकित किये गये है उक्त इन्द्राज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 3 सं0 2010 से 2013 व नकल जमाबन्दी प्रदर्श–4–5–6 सं0 2014 से 2017 की जमाबन्दी के आधार पर अंकित किये गये है। यहा अदालत तहत को यह भी स्पष्ट करना था कि वादीगण के इन्द्राज उपरोक्त जमाबन्दी में किस कॉलम में दर्ज है अर्थात वादीगण व तरतीवी के ¼12½ इन्द्राज उपरोक्त जमाबन्दी में खुदकाश्त अथवा मौरूसी व गैर मौरूसी कृषक के रूप में कही भी दर्ज नही है। बल्कि उपरोक्त जमाबन्दी में यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि उपरोक्त समस्त खतौनियों में काश्तकार के विवरण में प्रतिवादीगण के इन्द्राज खुदकाश्त व गैर मौरूसी कृषक के रूप में अंकित है जिनको किसी भी प्रकार से निरस्त नही किया जा सकता है। उपरोक्त जमाबन्दियों से यह भी स्पष्ट है कि वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी, प्रतिवादीगण के साथ कही भी सह कृषक के रूप में दर्ज नही है। इस प्रकार अदालत तहत द्वारा नजीर 1984 आर0आर0डी पेज 42 के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार करने में भारी कानूनी भूल की है। उक्त नजीर प्रकरण पर चस्पा नही होती है। यह तनकी विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी सं0 3:– आया प्रतिवादीगण नं0 1, 2 व 3 के पितागण वादीगण व तरतीवी के पितागण की तरफ से वाहैसियत को–टिनेन्ट आराजी का इन्तजाम करते रहे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

और प्रतिवर्ष काश्त का हिसाब करके मुनाफा वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी के पिता को देते रहेः—

उक्त तनकी को सावित करने का भार वादीगण पर है। सर्वप्रथम तो वादीगण द्वारा पेश की गयी खेवट खतौनियों में प्रतिवादीगण के इन्द्राज खुदकाश्त व गैर मौरूसी कृषक के रूप में दर्ज है उपरोक्त जमाबन्दियों में वादीगण व प्रतिवादी का कोई इन्द्राज दर्ज नही है। चूंकि जब वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी के इन्द्राज प्रतिवादीगण के साथ दर्ज ही नही है तो वादीगण स्वयं को को—टिनेन्ट किस आधार पर अंकित कर रहे है। यह स्पष्ट नही है और चूंकि आराजी पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी को—टिनेन्ट नही है बल्कि प्रतिवादी के ही इन्द्राज आराजी पर दर्ज है तो वादीगण द्वारा आराजी को इन्तजाम हेतु प्रतिवादीगण को दिये जाने जो कथन किया गया है वह प्रमाणित नही है। यहां यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि पार्टनर आफ कन्लीविशन कृषक की परिभाषा में नहीं आता। न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1990 पेज 456 के अनुसार Share cropping does not create any right in the property and does not amount to a sub-tenancy sec. 5 (41) इसके अलावा वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नही किया है जिससे यह सावित होता हो कि वादीगण ने आराजी को प्रतिवादी के लिए इन्तजाम हेतु दिया हो और प्रतिवादीगण काश्त करके मुनाफा वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता को देते रहे है। इस प्रकार यह तनकी विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी सं0 4:— आया प्रतिवादी के नाम हो रहे इन्द्राज खातेदारी खिलाफ कानून व खिलाफ मौका हैः—

उक्त तनकी को सावित करने का भार भी वादीगण पर है। वादीगण द्वारा जो दस्तावेज साक्ष्य अदालत में पेश की गयी है उससे यह बखूबी सावित है कि प्रतिवादीगण के इन्द्राज आराजी पर गैर मौरूसी/खुदकाश्त के रूप में दर्ज है जिसके आधार पर प्रतिवादीगण सं0 2012 में कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। गैर मौरूसी के आधार पर खातेदारी अधिकार को माननीय उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी 1987 पेज 202 के आधार पर यही माना है अर्थात प्रतिवादीगण के इन्द्राज कानूनन सही है। वादीगण द्वारा ऐसी

कोई साक्ष्य पेश नही की गयी है जिससे प्रतिवादीगण के इन्द्राजों को गैर कानूनी माना जा सके। इस तनकी में अदालत तहत द्वारा खेवट में वादीगण के नाम अंकित होने से वादीगण को आराजी में सह खातेदार माना है जो गलत है। खेवट में दर्ज होने से किसी भी व्यक्ति को कोई भी खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते हैं। अतः यह तनकी भी विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी सं0 5:— आया प्रतिवादी का कब्जा वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी की तरफ से बतौर लाईसेन्सी को—टिनेन्ट है:—

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर है। तनकी सं0 1, 2, 3 व 4 के निर्णय में पूर्ण विवेचना की जा चुकी है और यह स्पष्ट हो चुका है कि वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी के कोई इन्द्राज आराजी पर सह खातेदार के रूप में दर्ज नही है। इस बावत् वादीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है कि उन्होने आराजी को लाईसेंस पर प्रतिवादीगण को दिया हो। अतः यह तनकी भी विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी सं0 6:— आया वादीगण आराजी का विभाजन कराने के अधिकारी है:—

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर है। चूंकि वादीगण दस्तावेज साक्ष्य से स्वयं को सह खातेदार सिद्ध करने में असफल रहे है। इस कारण वादीगण द्वारा आराजी का विभाजन करवाये जाने का अनुतोष दिया जाना सम्भव नही है। अतः यह तनकी भी विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी सं0 7:— आया वादीगण उपरोक्त आराजी में हकूक खातेदारी को घोषित करवा पाने के अधिकारी है:—

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर है। तनकी सं0 1, 2, 3 व 4 की पूर्ण विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण का आराजी पर कोई स्वामित्व अथवा खातेदारी अधिकार सावित नही है बल्कि आराजी प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त व स्वामित्व व खातेदारी आर.टी.एक्ट 1955 से पूर्व की आराजी है जिस पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। अतः यह तनकी भी विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तनकी सं0 8:— आया वाद में मिस जौइन्डर ऑफ पार्टीज का दोष विद्यमान है व इसका प्रभावः—

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी को सावित करने पर यह कही भी स्पष्ट नही किया है कि किस व्यक्ति को गलत रूप से पक्षकार बनवा दिया गया है इस कारण प्रतिवादीगण उक्त तनकी को सावित नही कर पाये है। ऐसी स्थिति में यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी सं0 9:— आया वाद वादीगण अवधि में प्रस्तुत नही हुआ हैः—

वादीगण द्वारा यह दावा दिनांक 17.01.1981 को तहत न्यायालय में पेश किया गया। यद्यपि आर.टी.एक्ट 1955 में घोषणात्मक दावा लाने के लिए कोर्ट मियाद अधिनियम में समय सीमा निर्धारित नहीं है परन्तु न्यायिक दृष्टान्त आर.आर. टी. 2003 (2) पेज 1090 के अनुसार प्रतिवादीगण / रैस्पोन्डान्ट आर.टी.एक्ट 1955 के प्रभावशील होने के समय के अभिलिखित खोदार है। राजस्व अभिलेख से वादीगण अपना विधिक कब्जा काश्त प्रमाणित करने में असफल रहें है। खातेदारी सावित करने के लिए लगान का भुगतान, कृषि प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग तथा भूमि पर लगातार कब्जा स्थपित करना वादीगण के लिए आवश्यक है। जिसके समर्थन में वादीगण ने लगातार कब्जा काश्त के लिए नकल खसरा गिरदावरिया पेश नहीं की है। खातेदारी अधिकार एक विधिक अधिकार है। किन्तु यह निरंकुश, अभिच्छेद्य, अपरिवर्तनशील अथवा चिर स्थायी नहीं है। वादीगण कभी भी किसी भी समय अपनी इच्छा से वाद पेश नहीं कर सकते वर्ष 1955 से 33 वर्ष बाद वादीगण द्वारा किया गया दावा कालातीत है। अतः यह तनकी बहक अपीलान्ट / प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 10:— दादरसीः—

यह कि तनकी सं0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 का निर्णय वादीगण (रैस्पोडैन्ट्स) के विरूद्ध तय की गयी है तथा तनकी सं0 8 अपीलान्ट (प्रतिवादीगण) के विरूद्ध तय की गयी है। इस प्रकार उपरौक्त तनकी सं0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 के परिप्रेक्ष्य में तहत अदालत व डिक्री दिनांक 30.03.1991 को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.1991 न्यायालय सहायक कलक्टर वैर (भरतपुर) को अपास्त किया जाता हैं।

jktLo vihy ikf/kdkjh
Hkjrij

यह आदेश vkt fnukd 23-07-2018 dk ej }kjk fy[kk;k tkdj [ky U;k;ky; e luk;k x;k A

jktLo vihy ikf/kdkjh
Hkjrij

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official